अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान.....कपूरी.....बनाम.....अर्जुन.....

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
12.2022	पत्रावली वास्ते आदेश धारा 5 मियाद अधिनियम आदेश हेतु पेश हुई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अदालत मातहत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के राजस्व वाद 370/86 बउनवान बसन्ता बनाम नारायण निर्णय डिकी दिनांक 10.03.99, की अपील दिनांक 01.02.2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 10.03.99 के आधार पर रेस्पोडेन्ट 01 व 02 द्वारा दिनांक 10.12.2016 को खेत पर आकर कब्जा करने की धमकी दी। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा उप तहसील बहरावण्ड़ा कलां से सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख हेतू प्रार्थना पत्र 06.01.17 को सवाई माधोपुर मे पेश किया और 19.01.17 को नकल तैयार होने पर सर्वप्रथम निर्णय व डिकी की जानकारी उपलब्ध हुई । अपीलांट ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है।कब्जे काश्त कोई विवाद नही होने के कारण न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही हो सकी। अतः न्याय हित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 10.03.1999 के विरूद्व अपील 01.02.2017 को विलम्ब से पेश की है। अपीलांट द्वारा 10.12.16 को विवादित भू–खण्ड़ पर आकर विवाद करने का तथ्य मनगंढत गलत दर्ज किया है। देरी के प्रत्येक दिन	

व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का कारण बताना होगा । अपील 18 वर्ष बाद पेश की है। प्रार्थी का मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील को मियाद बिंदु पर खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पिता के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया गया था। अपीलांट निरक्षर ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण कानून से अनभिज्ञ है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र के संबंध में कोई शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील 18 वर्ष बाद पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट का शुरू से विवादित आराजीयात पर कब्जा रहा है। प्रार्थना पत्र मे कोई ठोस कारण अंकित नही किया गया है। और जो देरी का कारण अंकित किया गया है, वह भी मनगंढत है। प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा 2015(2) डी.एन.जे. (राज.) 774, 2017 डी.एन.जे (एस.सी.) 78, 2017 (3) डी.एन.जे. (राज.) 1054 दृष्टांत पेश किये।

वकूलाय फरिकेन की बहस पर मनन किया गया । प्रस्तुत दृष्टांतों का भी सासम्मान अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की फर्द अहकाम के अनुसार दिनांक 08.12.21 की ओर से प्रतिवादी का वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 05.08.87 को कायम तनकीयात की जाकर उभयपक्ष की सुनवाई की गई। 05.05.92 को वकुलाय फरीकेन उपस्थित। 28.09.89 से पत्रावली वकील वादी के साक्ष्य में नियत रही। 11.03.92 वकुलाय फरीकेन उपस्थित रहे। प्रकरण में 02.07.98 को बहस सुनी गई। वादी के 10.03.99 को निरस्त आदेशिका अंकित है, जिसमें कायम मुकाम जानबुझकर उपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नही होने का अंकन है। तत्पश्चात् उसी दिन आदेश सुनाया गया।

आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी का अभिभाषक स्वयं उपस्थित था और प्रतिवादी के कायम मुकाम अपीलांट को बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रही। अपीलांट एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने हेतू प्रयास नही किये। मुवक्किल को पर्याप्त जागरूक होना चाहिए। इससे यह तो नही कहा जा सकता कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी नही थी। यह तथ्य सही है कि मियाद बिंदु को निर्णित करते समय लचीला रूख अपनाना चाहिये। लेकिन लचीले रूख का तात्पर्य यह नही है कि किसी निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील 18 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की जावे, और लचीले रूख का निवेदन करे।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम जो पर्याप्त कारण बताता है, जो भी न्यायोचित नही है। क्योंकि वाद की सुनवाई प्रतिवादी के कारण कायम मुकाम के नोटिस तामिल मे कोई लापरवाही प्रकट नही हो रही है। 18 वर्ष के विलम्ब को कण्ड़ोन करने का कोई न्यायोचित तार्किक आधार नही है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त यहा पर चस्पा होते है

1054 2017(3) डी.एन.जे. (राज.) निम्न प्रकार है:--

"परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5 – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 96 – प्रथम अपील पेश करने मे लगभग ढ़ाई वर्ष का विलम्ब–मियाद द्वारा बाधित होने से अपील खारिज की – निगरानी--जवाब दावा रिकार्ड लेने से इनकार करने का आदेश आक्षेपित नही किया व अन्तिम हुआ– एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने हेतू प्रयास नही किये-- वकील पर लापरवाही आरोपित करने की अनुमति नही दी जा सकती– मुवक्किल को पर्याप्त जागरूक होना चाहिए और स्वंय को कार्यवाहीयों के बारे में सूचना रखी जानी चाहि[illegible] पर्याप्त कारण बताने में असफल रहे– निर्णित आदेश [illegible] विधित [illegible] क्षेत्राधिकारिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की त्रुटि नही है।

उपर्युक्त विवेचना के अ

आधार पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है और पत्रावली बिना गुणावगुण के निर्णित किए अपील विंदु पर खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 01.12.2022 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner